इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2021—चैत्र 2, शक 1943

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021

क्र. 84(5)-वि-निर्वा.-चार-2021-उपचुनाव-30.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 100-म.प्र.-वि.स.-1-2021 (उप-निर्वाचन), दिनांक 23 मार्च 2021 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं.

वीरा राणा, अपर मख्य सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 2021—2 चैत्र, 1943 (शक)

## अधिसूचना

संख्या 100-म.प्र-वि.स.-1-2021 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राहुल सिंह का स्थान, उनके त्यागपत्र के परिणामस्वरूप दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 को रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:—
  - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 55—दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 04 मई, 2021 (मंगलवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
  - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

 (क)
 नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख:
 30 मार्च, 2021 (मंगलवार)

 (ख)
 नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:
 31 मार्च, 2021 (बुधवार)

 (ग)
 अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:
 03 अप्रैल, 2021 (शनिवार)

 (घ)
 मतदान की तारीख:
 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 04 मई, 2021 (मंगलवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से.

हस्ता./-( मधुसूदन गुप्ता ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

#### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 23rd March, 2021—2 Chaitra, 1943 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100-MP-LA-1-2021 (Bye-Election).—Whereas, the seat of Shri Rahul Singh in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 55-Damoh Assembly Constituency has become vacant on 25th October, 2020 by reason of his resignation; and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the people Act. 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—
  - (A) Calls upon the said 55—Damoh Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 04th May, 2021 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
  - (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations:

(b) Date for the scrutiny of nominations:

(c) Last date for the withdrawal of candidatures:

(d) Date of Poll:

(e) Date before which the election shall be completed:

30<sup>th</sup> March, 2021 (Tuesday)

03<sup>rd</sup> April, 2021 (Saturday)

17<sup>th</sup> April, 2021 (Saturday)

04<sup>th</sup> May, 2021 (Tuesday); and

(C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 7.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./-(MADHUSUDAN GUPTA) Secretary,

Election Commission of India.